तत्काल

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(नियम शाखा)
मंत्रालय
<u>महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर</u>

क्रमांक / /35/कोर्ट/2024/एक-3 नवा रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर, 2024

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल छत्तीसगढ़,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़.

विषयः– अनुकम्पा नियुक्ति के लम्बित प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने बाबत्।

संदर्भः– इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 7–1/2019/1–3, दिनांक 15.04.2024, पत्र क्रमांक 917/35/कोर्ट/2024/एक–3, दिनांक 29.04.2024 एवं पत्र क्रमांक 1385/35/कोर्ट/2024/एक–3, दिनांक 24.07.2024।

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करें, जिसके माध्यम से अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण एवं समीक्षा करने हेतु निर्देशित किया गया है।

2/ विभागीय पत्र दिनांक 07.08.2024 द्वारा लंबित प्रकरणों की जानकारी समस्त कलेक्टरों से चाही गई थी। 32 जिलों से प्राप्त जानकारी अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति के कुल 782 प्रकरण (तृतीय श्रेणी के 544 एवं चतुर्थ श्रेणी के 238 प्रकरण) वर्तमान में लंबित है, अतः लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण यथाशीघ्र करने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें:–

1. तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के निम्नतम पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु 10 प्रतिशत की सीमा बंधन लागू है। अतः यदि तृतीय श्रेणी के पद रिक्त न हो, तो आवेदक को चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर, प्रकरण निराकृत की जावे।
2. यदि आवेदक के स्तर से आवेदन लंबित है, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर आवेदन प्राप्त करने में सहयोग प्रदान किया जाये।

(मुकेश कुमार बंसल)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक /35/कोर्ट/2024/एक–3 नवा रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर, 2024

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
2. अवर सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय परिसर बिलासपुर।

क्रमशः 2

3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट में अपलोड हेतु।

की ओर सूचनार्थ।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग